आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में शायद शहडोल अकेला आदिवासी ऐसा जिला है, जहां ग्राम पंचायत से लेकर जनपद, जिला और विधानसभा से लेकर लोकसभा के अलावा प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की संख्या अन्य स्थानों से कहीं अधिक है, आज का यह लेख जिले की तमाम नारी शक्तियों को समर्पित है, जिन्होंने अपने घर के साथ ही अपनी मेहनत और जिद से समाज को एक नई दिशा दी और एक ओहदे को भी प्राप्त किया।

(अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष)

जन सेवा की जिद, पीएससी का लक्ष्य और जीत लिया आसमान

दिव्यांगता को ताकत बनाकर महिलाओं को सशक्त बना रही पूजा

शहडोल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जिले में दर्जनों स्थानों पर सरकार और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है, मातृशक्ति को समर्पित कार्यक्रमों में आज नगरीय निकायों से लेकर जिला पंचायत और भाजपा से लेकर कांग्रेस और अन्य गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के द्वारा व्रत कार्यक्रमों के आयोजन किया जा रहे हैं, शहडोल संभावित प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के पटल पर भी अकेला ऐसा आदिवासी जिला है, जहां प्रशासनिक पदों से लेकर राजनीतिक पद और विधानसभा और लोकसभा से लेकर प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायत के पदों पर नारी शक्ति आसीन है, जिले की धनपुरी नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पद पर पदस्थ 38 साल की सुश्री पूजा बुनकर की कहानी जिले के ही नहीं बल्कि संभाग के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर बैठी महिलाओं से बिल्कुल अलग है, बचपन से दिव्यांग सुश्री पूजा बुनकर की जिद और पीएससी की परीक्षा को पास कर प्रशासनिक पद के माध्यम से रामराज की परिकल्पना को साकार करना अपने आप में अनूठा है, पूजा की जिद ने उसे आज उसे पद पर लाकर बैठा भी दिया सुश्री पूजा कहती है कि उसने जिंदगी में जो चाहा था, उसे पा लिया, अब शेष जीवन इस पद के माध्यम से जनसेवा करना है।

टू व्हीलर से लेकर खाना बनाने में दक्ष है सीएमओ

जिले की सबसे धनी नगर पालिका मानी जाने वाली धनपुरी की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुश्री पूजा बुनकर ने बीते सप्ताह ही यहां प्रशासनिक आदेश के बाद भार ग्रहण किया, मूलतः जबलपुर के रहने वाली सुश्री पूजा बुनकर नगरीय निकाय विभाग के उक्त प्रशासनिक पद से पहले महिला बाल विकास में भी पदस्थ थी और वहां इस्तीफा देकर उन्होंने पीएससी के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी का पद ग्रहण किया, सुश्री पूजा बुनकर बचपन से ही दिव्यांग है और उनके पिता आर.एस. बुनकर श्रम विभाग में अधिकारी थे तथा उनकी माता ग्रहणी थी, उन्होंने जबलपुर से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के अलावा संस्कारधानी से ही विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अलावा कला में स्नाकोत्तर और पीजीडीसीए, एलएलबी, एमएसडब्ल्यू के साथ तीन स्नाकोत्तर की डिग्रियां हासिल कर रखी हैं। 2014 के पीएससी परीक्षा में होने सफलता मिली और 2018 में सबसे पहले जबलपुर की ही शाहपुर नगर परिसर में सीएमओ के पद पर आसीन हुई, अपनी जिद और धुन की पक्की सुश्री पूजा बुनकर ने बीते 7 सालों में लगभग 7 से 8 निकायों में अपनी सेवाएं दी और सिद्धांतों से समझौता न करने की यही जिद हर एक से डेढ़ साल बाद उनके स्थानांतरण का कारण बनती रही, शाहपुरा के बाद कटनी, सिवनी, पाटन, दमोह और फिर कटनी के विजय राघवगढ़ आदि निकायों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी।

रामलाल के इर्द-गिर्द सिमटा जीवन

सुश्री पूजा बुनकर बताती है कि उन्हें पढने लिखने के अलावा गाना सुनने का भी शौक है , आशुतोष राणा के द्वारा लिखी गई किताब रामराज का जिक्र करते हुए उनकी बातें नहीं रुकती, वही नागपुर के लेखक की रावण नामक किताब के संदर्भ में भी पूजा जब चर्चा करना शुरू करती है तो, राम राज की परिकल्पना और राम राज्य में प्रजा को किस तरह न्याय मिले और किस तरह उनकी सुविधाओं में इजाफा हो, इन सबको जैसे पूजा बुनकर ने अपने जीवन में ही उतार लिया हो , जन्म से ही दिव्यांग रही पूजा बुनकर दो पहिया वाहन बड़ी बखूबी से चलती हैं साथ ही चपाती से लेकर तरह-तरह के व्यंजन व बड़ी आसानी से बना लेती हैं, बचपन से ही एक हाथ न होने के कारण कार्य में आ रही बाधाओं और अन्य सवालों के जवाब में सुश्री पूजा बनकर कहती है कि उन्हें कभी भी इस तरह का कोई आभास नहीं हुआ कि उनका एक हाथ नहीं है, कभी भी काम में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब कोई उनसे मिलता है और फिर उनकी दिव्यंगता के जिक्र करके उन पर दया भाव की बात करता है तो, उन्हें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अपने जिद की पक्की और जन सेवा की धुन ने उन्हें महिला बाल विकास विभाग के सुपरवाइजर के पद से इस्तीफा देकर पीएसी के माध्यम से मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दायित्व पर पूजा कहती है कि जिंदगी में जो चाहा था वह मिल गया, अब सिर्फ इस पद के माध्यम से लोगों से जुडना उनकी मदद करना और इस पद से मिले असीमित दायरे और शक्तियों के माध्यम से रामराज का सपना साकार करना उनका उद्देश्य है।

निकायों में भी मिला सम्मान

जिले के नगरीय निकायों में भी मातृ शक्तियों को जनता ने भारी मतों से दूसरी और तीसरी बार सम्मान नगर के प्रथम महिला का पद सौंपा है, जिले के बुढार नगर परिषद में श्रीमती शालिनी सरावगी की जहां तीसरी बार नगर परिषद की अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हैं, वहीं पड़ोस की धनपुरी नगर पालिका में श्रीमती रविंद्र कौर छाबड़ा दूसरी बार चुनकर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई है, देवलोंद में श्रीमती सुशीला सिंह, जयसिंहनगर निकाय में श्रीमती सुशीला शुक्ला के अलावा बकहो में श्रीमती मौसमी केवट अध्यक्ष हैं, वहीं जनपद पंचायत बुढ़ार में अध्यक्ष के पद पर सुश्री उमा धुर्वे, ब्यौहारी में आकांक्षी सिंह, गोहपारू में श्रीमती रामाबाई, जयसिंहनगर में मालती सिंह और सोहागपुर में श्रीमती हीरावती कोल अध्यक्ष पद की शोभा बढ़ा रही है।

लोकतंत्र की प्रहरी भी है नारी शक्ति

आदिवासी बाहुल्य जिला होने के बाद भी शहडोल जिले की जनता और जनमानस ने नारी शक्ति को जो सम्मान दिया है, वह अपने आप में अनूठा है जनप्रतिनिधि के सबसे बड़े पद और लोकतंत्र के मंदिर में भी शहडोल की जनता ने श्रीमती हिमाद्री सिंह को चुनकर एक नहीं बल्कि दो बार संसद भेजा और नारी शक्ति का सम्मान किया है, शहडोल संभागीय मुख्यालय के जयसिंहनगर विधानसभा से भी दूसरी बार श्रीमती मनीषा सिंह को विधानसभा भेजा, वही त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के जिले के सबसे बड़े पद पर श्रीमती विमला मिश्रा को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर सम्मान दिया है, राजनीतिक दलों में देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने पहली बार शहडोल जिले में महिला अध्यक्ष की सौगात जिले वासियों को दी है, श्रीमती अमिता चपरा पूर्व में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन रहकर शहडोल और मातृशक्ति को गौरन्वित कर चुकी हैं, 2003 और 08 में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रहने के अलावा प्रदेश की राजनीति में भी कार्य समिति सदस्य से लेकर प्रदेश मंत्री के पद पर काबिज रहीं, वही मध्य प्रदेश वित्त विभाग के भी अध्यक्ष पद हेतु 2021 में मनोनीत की गई थी, वर्तमान में स्नाकोत्तर और विधि मैं स्नातक की डिग्री रखने वाली श्रीमती अमिता चपरा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का बखूबी संचालन कर रही है।

शहडोल में पदस्थ महिला अधिकारी, कर्मचारी निभा रही अपनी महती भूमिका

महिलाएं स्वास्थ्य, पुलिस सेवा सहित हर क्षेत्र में लहरा रही अपना परचम

शहडोल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के योगदान को मान्यता देने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। महिला दिवस का उद्देश्य समाज में महिलाओं के समान अधिकारों, अवसरों और सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाना है। महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता से यह साबित किया है कि वे किसी भी कार्य में पुरुषों से कम नहीं हैं। आज के युग में महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य हो, पुलिस सेवा, खेल, अंतरिक्ष, व्यापार, राजनितिक, पुलिस आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में पुरूषो के साथ कदम से कदम मिलाकर देश, विदेश में परचम लहराकर अपना योगदान दे रही है। साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा भी लाड़ली बहना योजना, सरकारी पदों में आरक्षण, स्व सहायता समूहों के द्वारा महिलाओं को लखपति बनाना जैसे अन्य विषेष कार्य निरंतर किये जा रहे है।थाना यातायात प्रभारी सूबेदार प्रियंका शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल, जिसमें जो महिलाओं की उपलब्धियां हैं जिसमें महिलाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने के लिए मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को संदेश देना चाहूंगी कि सभी महिलाएं सर्वप्रथम अपने उत्थान और अपनी सुरक्षा के लिए सजग रहे। आज भी अधिकांश परिवार में महिलाओं को स्वयं निर्णय लेने के अधिकार नहीं है उन्हे आजादी नहीं है, इसके लिए हमें यह प्रयासरत करना चाहिए कि समाज में जो सशक्त एवं जागरूक महिलाएं हैं वो अन्य महिलाओं के समाज में स्थिति बेहतर करने के लिए संकल्पित रहे और प्रयासरत रहें। महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब इसकी नींव हम अपने घर से रखें, हम अपने घर में अपने परिवार में अपने बच्चों को चाहे बेटा हो या बेटी उन्हें शुरू से अच्छे संस्कार दें जिससे कि भविष्य में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज का निर्माण कर सके। जिला क्षय केंद्र शहडोल में एसडीएस के पद पर पदस्थ प्रियंका शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जब भी अवसर मिले वह आगे बढ़ती रहे महिलाएं, समाज में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं पहले उन्हें मौका नहीं मिल रहा था अब उन्हें मौका मिल रहा है चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो चाहे खेल का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष हो सभी क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं जिसमें से हमारे देश की महिलाएं जैसे इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू और शहडोल की पूजा वस्त्रकर जो खेल के क्षेत्र में बहुत आगे तक गई है।अंजली मिश्रा महिला आरक्षक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हर महिला को आत्मनिर्भर और आत्म विश्वास से भरपूर होना चाहिए हमें अपने अधिकारों को पहचानना होगा, सुरक्षा के प्रति सतर्क होना होगा, और अन्य महिलाओं को भी इसके लिए प्रेरित करना होगा, लिए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज के निर्माण करें जहां महिलाएं बिना किसी भय के बिना डरे हुए आगे बढ़ सके और अपने सपने को साकार कर सकें। जिला क्षय केंद्र शहडोल नर्सिंग ऑफिसर के पद पर पदस्थ कहकशा फातमा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के युग में महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो चाहे वह राजनीति के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में हो महिलाएं हर जगह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने कार्य का निर्वहन कर रही हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं

पति ने छोडा साथ - पार्वती ने थामा आजीविका मिशन का हाथ

उमरिया। मां के साथ ममता मिलती, बहन से मिलता हमेशा दुलार, नारी शक्ति को पूज्य नीय समझो इनसे चलता घर कारोबार और संसार" । ग्राम गोरैया जनपद पंचायत पाली की पार्वती बैगा ने उक्तत पंक्तियों को चरितार्थ करते हुये पति के मृत्युप उपरांत अपने परिवार को न केवल कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिये संघर्ष किया बल्कि स्व यं भी घर की दहलीज पार कर कन्याा छात्रावास में रसोइया का काम कर रही है। पार्वती बैगा ने बताया कि पति की मृत्यु के बाद घर का संचालन करने में बडी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा था। वर्ष 2017 में जुहिला आजीविका स्व यं सहायता समूह की सदस्या बनी समूह में जुडने के बाद पार्वती ने सीसीएल से 53000 रूपये ऋण के रूप में लिया जिससे एक छोटी सी किराना दुकान खोली । अब पार्वती माह में 10000 रूपये तक की आमदनी प्राप्त कर रही है । पार्वती ने अपनी विकास यात्रा यही खत्म0 नही की । उन्होने राजनीतिक के क्षेत्र में भी वर्चस्वी हांसिल किया और गांव की उप सरपंच होने के नाते घर के साथ साथ गांव के महत्वापूर्ण निर्णयो में हांथ बटा रही है । पार्वती बैगा का कहना है कि आजीविका मिशन से जुडने के बाद जीवन में बदलाव आ गया है । उन्हौने प्रदेश के मुख्य मंत्री डा मोहन यादव , जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन को धन्यकवाद ज्ञापित किया है ।

घर की कमाऊ बहू बनी वंदना

महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत कराने की दिशा में म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन मील का पत्थगर साबित हो रहा है । वंदना पाल पूरे गांव के लिये कौशल एवं रोजगार के क्षेत्र में एक मिशाल बनी हुई है उन्हो देखकर स्वल-सहायता समूह की दीदीयॉ अलग-अलग विषयों में कैडर के रूप में कार्य कर रही है। वंदना पाल ने बताया कि उनके पिता का नाम रामनरेश पाल है जो एससीसीएल में लोडर का काम करते थे। मां का नाम गीता पाल है जो गृहिणी थी। घर में दो बड़े भाई और एक बड़ी बहन है मैं घर में सबसे छोटी हूं। वंदना ने 12 वीं की पढाई पूरी करने के उपरांत डीसीए एवं टैली की पढाई छत्तीसगढ़ से की । इसी दौरान वंदना ने प्राइवेट स्कूल में टीचर का काम किया और ट्यूशन भी पढ़ाया । शादी के बाद भी पति एवं सास ससुर का सहयोग मिलता है, जिससे मैं घर मे सिलाई करती हूँ और ब्यूमटी पार्लर का संचालन भी कर रही है। वंदना पाल ने बताया कि काम के दौरान मुझे एक गांव की दीदी से आजीविका मिशन के बारे में पता चला जिसके बाद मैने सत्यास स्वय-सहायता समूह बनाया । समूह में 12 सदस्य है जिसमें मैं सचिव के रूप में काम रही हूं । सत्या समूह की बैठक में विकासखण्डा प्रबंधक करकेली ने डीएम स्किल से बात होने पर मुझे डीडीयूजेकेवाय प्रशांति एज्युकेशन वेलफेयर सोसायटी उज्जै न में मोबलाईजर का काम करने का ऑफर दिया जिसे मेरे व्दाजरा स्वी कार कर लिया गया । यह मेरे लिये एक बड़ा चैलेज था। वंदना ने चैलेंज को स्वी कार करते हुए 35 बच्चे फूड- एण्डे बेबरेज हेतु मोब्लाइज किया और बच्चों के साथ निकल पडी बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जहां प्रशांति एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी उज्जैमन में अपना दायित्व, निभाने लगी ।

स्वं सहायता समूह से जुडने के बाद सत्यवती के जीवन में आया बदलाव

ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यआम से महिलाएं स्वयं का रोजगार स्थायपित करते हुए अपना बेहतर ढंग से जीविकोपार्जन कर रही है और आत्मय निर्भरता की ओर आगें बढ रही है । ग्राम नरवार विकासखण्डर करकेली निवासी सत्यावती सिंह ने भी पति के सहयोग के बिना स्वरयं के दम पर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है । सत्यगवती के पति कमाने के लिये बाहर गये तो लौटे ही नही । परिवार की कोई सुध नही ली । सत्यकवती पढी लिखी होने के कारण परिवार को चलाने की जिम्मेदारी अपने हांथों मे ले ली । बीए एवं डीसीए उत्त्तीण करने के बाद सत्यमवती 9 सितम्बंर 2020 को मां काली स्वा-सहायता समूह की अध्यहक्ष बनी। समूह में जुडकर सत्य वती नें बैंक सखी बनने का निर्णय लिया एवं बैंक सखी का मानदेय तीन हजार रूपये मिलने लगा । जिससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने लगी । सत्य?वती ने सीआईएफ से 50000 रूपये एवं सीसीएल से 60000 रूपये ऋण लिया जिसे अपनी खेती बाडी एवं स्कूआटी क्रय करने में खर्च किया जिसके बाद सत्यजवती ने मुद्रा लोन से 10 लाख रूपये ऋण लिया और सेन्ट्र ल बैंक ऑफ इण्डिया का कियोस्कल चलाने लगी । कियोस्क से उन्हेट 7000 से 8000 रूपये की आमदनी होने लगी। अब वह बैंक सखी एवं कियोस्कक का कार्य सुचारू रूप से कर रही है ।सत्यरवती के दोनों बच्चें प्राईवेट स्कूगल में पढाई कर रहे है एवं वह स्वैयं एकल महिला होने के बावजूद अपने परिवार की गाडी स्वटयं के बलबूते पर चला रही है। सत्यावती माह में 10 हजार रूपये से अधिक की आय अर्जित कर रही है । उन्हो ने प्रदेश के मुख्यवमंत्री डा मोहन यादव , जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन को धन्यदवाद ज्ञापित किया है।

कमला ने समूह से जुडने के बाद पति एवं बहू को उपलब्ध कराया रोजगार

मंजिले उन्हें को मिलती है जिनके सपनों मे जान होती है पंखों से कुछ नही होता हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसी ही उड़ान भरी है कमला सोनी ने । जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुडकर अपनी दशा में दिशा दोनो ही बदल दी। कमला सोनी आजीविका मिशन अंतर्गत समूह की वित्तीय मदद से जैसे प्राईवेट बैंक जो अत्यधिक ब्याज से लोन देते है उनसे मुक्त होकर स्वयं के रोजगार से समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुकी हैं। कमला दीदी ने बताया कि उनके पति राजेंद्र बचपन से ही मजदूरी का काम करते थे, उनके ससुराल की स्थिति भी दयनीय थी, कमला ने शादी उपरांत तीन बच्चे हुये ,कमाई सीमित होने से परिवार में हमेशा तनाव बना रहता था, कमला के अनुसार उनके पति की दो हजार से ढ़ाई हजार रू. मासिक आमदनी में गृहस्थी चलाना कठिन था, कमला भी अपने परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एवं बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने मे लगी रहती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक करने और अपने पति का साथ देने के लिए सर्वप्रथम अपने पिता से 2 हजार 6 सौ रू. मांगकर छोटे मोटे काम करने लगी। जनवरी 2024 में कमला दीदी अपनी बारह सहेलियों के साथ माँ शारदा स्व-सहायता समूह से जुड़ीं और म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बताये अनुसार अपने समूह का संचालन करने लगीं। मिशन की ओर से उनके समूह को सीसीएल के रूप मे लोन मिला, कमला ने सबसे पहले अपने समूह से पचास हजार रूपये उधार लिये और इस रकम से अपने पति के साथ मिलकर चाट फुल्की का ठेला गांव मे ही लगाना शुरू किया , मै और मेरे पति दोनों सुबह से चाट फुल्की बनाने मे जुट जाते है । कमला ठेले का सामान बनाकर ठेले को बाजार तक पहुंचवाती है और जिस दिन ठेले मे ज्यादा भीड़ रहती है उस दिन कमला भी अपने पति के साथ उनका हाथ बटाने मे मदद करती थी । जिससे अब उनके पति मजदूर के बजाय दुकान मे ही काम करने लगे है, कुछ समय बाद कमला के पति का देहांत हो गया जिससे कमला दीदी एकदम अकेली हो गई इस स्थिति में घर चला पाना मुश्किल हो गया । कमला दीदी ने हार नही मानी और खुद चाट फुल्की का ठेला लगाने लगी। अब उनकी पारिवारिक आमदानी भी क्रमशः बढने लगी। इस गतिविधि से मासिक आमदनी बारह से चौदह हजार रूपये हो गयी। कमला बताती हैं कि पहले उनके पति के पास ही मोबाईल नहीं था अब दो मोबाईल भी खरीद लिया है। बहू को सिलाई कार्य सिखाकर उसे सिलाई मशीन खरीद दी हूँ जिससे वो घर पर ही सिलाई का कार्य कर 2000 से 3000 की आमदनी अर्जीत कर रही है। वर्तमान में कमला का परिवार आर्थिक उन्नति करके खुशहाल जीवन व्यततीत कर रहा है। उन्होउने प्रदेश के मुख्यवमंत्री डा मोहन यादव , जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन को धन्योवाद ज्ञापित किया है ।

आरसेटी से प्रशिक्षण से प्राप्त कर ज्ञानवती ने प्रारंभ किया सिलाई कार्य

ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कार्यों में व्यस्त रहने वाली अनेक महिलाओं ने घर की चहरदीवारी से निकल कर न केवल खुद को साबित किया बल्कि अपने परिवार को भी खुशहाली का रास्ता दिखाया है। टिकुरी टोला विकासखण्डा मानपुर निवासी ज्ञानवती पटेल ने बताया कि 2016 में पति की मृत्युप के बाद सारा संसार मानो जैसे 2 कमरों में सिमट सा गया था, न किसी से मिलना न बातें करना। पति के ना रहने पर घर खर्च चलाना बहुत मुश्किल था । ज्ञानवती 2021 में आजीविका मिशन द्वारा संचालित अमीक्षा स्व-सहायता समूह में जुडी । समूह मे जुडने के उपरांत उन्होअने सिलाई की ट्रेनिंग आरसेटी से ली । सिलाई से प्राप्त। होने वाली आमदनी से उनकी जरूरतें आसानी से पूरी होने लगी । उन्होपने समूह का प्रथम डोज कराया जिससे प्राप्तआ राशि 50000 का उपयोग ज्ञानवती ने अपनी नर्सिंग की पढाई एवं कृषि कार्य में किया । ज्ञानवती घर में एक छोटी सी किराना दुकान चलाने के साथ-साथ सिलाई एवं नर्सिंग का भी कार्य करती है , जिससे उनकी अमदनी 3000 से 4000 रू. प्रतिमाह हो जाती है। ज्ञानवती ने सीसीएल की दूसरी, तीसरी और चौथी किश्त0 से क्रमशः 80000 , 100000 तथा 280000 का ऋण लिया । ऋण से ज्ञानवती ने ट्रेक्टहर खरीदा अब ज्ञानवती ट्रेक्टर का का उपयोग स्वायं के कृषि कार्य एवं दूसरों के कृषि कार्य हेतु किराये पर करती है। ट्रेक्टर चलाने का कार्य ज्ञानवती ने अपने एकलौते बेटे राज पटेल को सौपा है । इस प्रकार ज्ञानवती ने कृषि उद्यम एवं सेवा क्षेत्र में स्वौरोजगार स्थाइपित कर माह में 10000 से 15000 रू. की मासिक आय अर्जित कर रही है। उन्हो ने प्रदेश के मुख्य मंत्री डा मोहन यादव, जिला प्रशासन एवं ग्रामीण आजीविका मिशन को धन्ययवाद ज्ञापित किया है ।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् पसान जिला अनूपपुर (म.प्र.)

/ /प्रथम आमंत्रण / /

अनुभाग - 1

निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाइन प्रतिशत दर की निविदा पंजीकृत ठेकेदारो और पंजीकरण मांनदडों को पूरा करने वाली फर्मो से आमंत्रित की जाती है।

क्र. टेण्डर क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत राशि (रूपये) लाख मे	धरोहर राशि EMD (रूपये में)	निविदा प्रपत्र की लागत रूपये में	ठेकेदार की श्रेणी	पूर्णता की अवधि दिन में
I 2025 _UAD_ 406486_1	वार्ड क्रमांक - 16 मेन रोड से दउवा मिस्त्री के घर होते हुये गुलाब के घर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	1272862/-	9550/-	2000/-	ठेकेदार न्यू सेंट्रलाइज्ड PWD पंजीकरण प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत	90 दिवस

1. इच्छुक निविदाकार बेबसाइट https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर एनआईटी देख सकते है। 2.निविदा प्रपत्र 10:30 समय 04/03/2025 दिनांक से 17:30 समय 04/04/2025 तक ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। 3. एनआईटी में संशोधन यदि कोई हो तो कैवल बेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और समाचार पत्र में नही। 4. विस्तृत जानकारी कार्यालयीन समय में निर्माण शाखा में देखी व प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
पसान

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पसान
जिला - अनूपपुर (म.प्र.)

राजस्थान में मिली चार माह से लापता बालिका

कटनी। चार माह पूर्व लापता हुई एक बालिका को स्लीमनाबाद पुलिस ने दस्तयाब कर उसे सुरक्षित परिवार के सुपुर्द किया। बेटी को सुरक्षित वापस पाकर परिवार वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। थाना प्रभारी स्लीमनाबाद अखलेश दाहिया द्वारा बालक, बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए विशेष टीम लगाई गई। जिसने लापता बालिका की लगातार खोजबीन की, आखिरकार सूचना के आधार पर राजस्थान में बालिका की मौजूदगी की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बालिका को सकुशल दस्तयाब कर स्लीमनाबाद लाकर परिजनों के सुपुर्द किया। पूछताछ में बालिका ने बताया कि मां के डांटने की वजह से घर से बिना बताए चली गयी थी। बालिका को पुनः अपने बीच पाकर परिवारजनों में अत्यंत हर्ष और भावुकता का माहौल था। परिजनों ने थाना स्लीमनाबाद कटनी पुलिस की इस महत्वपूर्ण कार्यवाही के लिए धन्यवाद प्रकट किया। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी स्लीमनाबाद निरीक्षक अखलेश दाहिया ,सउनि जुबेर अली, म.आर सुनीता ठाकुर, आर. सोने सिंह की अहम भूमिका रही।

अज्ञात वाहन की टक्कर से वृद्ध महिला घायल

कटनी। स्लीमनाबाद थानांतर्गत ग्राम गुदरी में एक वृद्ध महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिसमे महिला को सिर में गम्भीर चोटें आई है। परिजनों के द्वारा महिला को जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। घायल महिला के पुत्र लोकेश चौधरी ने बताया कि बुधवार शाम 4 बजे ग्राम गुदरी निवासी 61 वर्षीय कल्लू बाई चौधरी घर के बाहर कचरा फेंक कर लौट रही थी तभी अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी जिसमे उन्हें सर में गम्भीर चोटें आई जिससे वेहोश हो गई पुत्र के द्वारा उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

महिला ने पैसे छीनने एवं बदसलूकी के लगाए आरोप

कटनी। कोतवाली थाने के बाहर फुटपाथ में सब्जी की दुकान लगाने वाली महिलाओं के साथ अवैध वसूली एवं सामग्री छीन कर ले जाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए महिला ने कोतवाली में शिकायत करने पहुंची लेकिन पुलिस ने नगर निगम में शिकायत करने कहा गया। बताया जाता है कि गुरवार दोपहर करीब 3 बजे कोतवाली थाने के बाहर सब्जी लग रही छापरवाह निवासी पान बाई चौधरी ने नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि 200 की अवैध वसूली करते हैं और हमारा सामान छीनकर ले जाते हैं। मेरे साथ बदतमीजी कर मारपीट की है जिसकी शिकायत मैंने कोतवाली थाने में करने गए लेकिन पुलिस ने नगर निगम जाने की समझाइश दी है।

छात्रा को प्रदान की स्कूटी

विजयराघवगढ़। शासन के निर्देशानुसार 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की वार्डन द्वारा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विजयराघवगढ़ में अध्यनरत सुश्री पूर्णिमा केवट पिता रमेश केवट को स्कूटी प्रदान की गई। वार्डन श्रीमती रचना मिश्रा ने बताया की पूर्णिमा बायो साइंस की छात्रा रही गरीब परिवार की बालिका होने के करण कस्तूरबा गांधी बालिका रहवासी छात्रावास में रहकर अध्ययन किया। शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के बाद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विद्या अध्ययन कर 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष में शान द्वारा 90000 की स्कूटी प्रदान की गई। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि बालिका को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उनके भाई विवेक पांडे द्वारा 11000 रुपए की नगद राशि प्रदान की गई। बालिका पूर्णिमा केवट ने अपने माता-पिता गुरुजनों बल्कि विजयराघवगढ़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है।

बीजेपी मंत्री के विवादित बयान पर कांग्रेस का विरोध

उमरिया।

जिले में बिरसिंहपुर पाली मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देशानुसार एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में उमरिया के सभी मंडलों के साथ बिरसिंहपुर पाली के अंबेडकर चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के विवादित बयान के खिलाफ कांग्रेस ने नारेबाजी करते हुए मंत्री का पुतला दहन किया और उनके इस्तीफे की मांग की।

भाजपा मंत्री प्रह्लाद पटेल द्वारा जनता की मांगों को "भीख मांगने" जैसा बताने और अपशब्दों का प्रयोग करने से प्रदेशभर में रोष व्याप्त हो गया है। कांग्रेस ने इसे जनता का अपमान बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के जो वादे किए थे, वे अब तक अधूरे हैं। जब जनता ने अपने मौलिक अधिकारों की मांग की तो मंत्री ने अपमानजनक शब्दों का उपयोग कर पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया।

इस विरोध प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह, विंदे सिंह, रामनारायण पांडेय, छत्रपाल सिंह, मोहम्मद मोबीन, पूर्व पार्षद कृष्णकांत अवधिया, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष साकिर खान, मकसूद खान, मंडलम अध्यक्ष राजेश कोल, राम बिहारी उपाध्याय, प्रदीप नारायण तिवारी, पंडित त्यागी महाराज, संतोष शुक्ला, अभ्युदय सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सिंह, पार्षद सागर राम रौतेल सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है कि मंत्री प्रहलाद पटेल के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए, तत्काल उन्हें पद से बर्खास्त करें। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देते, उनका विरोध सड़क से सदन तक जारी रहेगा।

विधायक ने सीसी रोड का किया भूमिपूजन

मानपुर

सुश्री मीना सिंह ने पीएम जन मन योजना के तहत ग्राम पंचायत ददरौडी में डेढ़ करोड रूपये की लागत से बनने वाली 3 किमी सीसी रोड का भूमिपूजन किया। विधायक मानपुर ने कहा कि सड़क निर्माण हो जाने पर इसका सीधा लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार के नेतृत्व में मानपुर क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। इस अवसर पर हरीश विश्वकर्मा, राकेश पटेल, अनमोल केवट, चौकी लाल यादव, हरिहर तिवारी, मनोज चौधरी, सरपंच घघराड विभैव सिंह, ग्राम पंचायत ददरौडी दिग्विजय सिंह , सुंदर सिंह , विशाल पारस सिंह , अंकित राय, राकेश गुप्ता उपस्थित रहे

डिप्टी कलेक्टर ने छात्रावास का किया निरीक्षण

उमरिया। डिप्टी कलेक्टर अंबिकेश प्रताप सिंह ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस बालिका छात्रावास तामान्नारा का औचक निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि शुध्द पेयजल के लिए हैंडपंप, बोरवेल, स्टील फिल्टर उपलब्ध है । परिसर में साफ सफाई पाई गई । मीनू के अनुसार नाश्ता बांटना पाया गया। समय पर स्वास्थ्य परीक्षण होना पाया गया। छात्रावास में एक वार्डन, एक सहायक वार्डन, 4 रसोईया तथा तीन रेमेडियल टीचर पदस्थ है। छात्रों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा गार्ड है । छात्रों की संख्या 100 पाई गई । छात्रावास में सोलर, इन्वर्टर के माध्यम से बिद्युत का प्रदाय होना पाया गया । छात्रावास में एक कम्प्यूटर पाया गया । स्टेशनरी एवं खेल सामग्री उपलब्धा पाई गई ।

नवांकुर संस्था द्वारा जन सूचना केंद्र का किया गया शुभारंभ

उमरिया।

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद जिला समन्वयक रविन्द्र शुक्ला व्दारा आदर्श ग्राम भडारी में जन सूचना केंद्र का शुभारंभ किया गया । इस अवसर पर समिति द्वारा 21 पौधों का रोपण किया गया । कार्यक्रम को जिला समन्वयक ने संबोधित करते हुए ग्राम को आदर्श ग्राम बनानें की अपील ग्रामवासियों से की गई । कार्यक्रम में नवांकुर संस्था अध्यक्ष देव प्रकाश गौतम, परामर्शदाता कल्याण यादव, ठाकुरराम साहू, माधुरी त्रिपाठी, छात्र प्रतिभा, मनु सिंह , दारा सिंह सहित ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

आज नेशनल लोक अदालत

12 खंडपीठों का किया गया गठन

उमरिया। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को जिला न्यायालय उमरिया एवं सिविल न्यायालय बीरसिंहपुर पाली/मानपुर में नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रथम जिला न्यायाधीष द्वारा कुल 12 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया है। नेषनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला न्यायालय उमरिया में 09 खण्डपीठ, सिविल न्यायालय बीरसिंहपुर पाली में 02 खण्डपीठ एवं सिविल न्यायालय मानपुर में 01 खण्डपीठों का गठन किया गया है। जिला न्यायालय उमरिया में न्यायिक अधिकारीगण क्रमश अरूण प्रताप सिंह, प्रधान न्यायाधीष, कुटुम्ब न्यायालय, दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटऊ, वीणा खलखो, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीष वरिष्ठ खण्ड, आशीष धुर्वे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड, मोहन डाबर, तृतीय व्यवहार न्यायाधीष, कनिष्ठ खण्ड उमरिया, श्रीमती पल्लवी सिंह, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, उमरिया, सरफराज खान, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, राहुल सोनी (वरिष्ठ) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीष कनिष्ठ खण्ड, पूजा गोले, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बीरसिंहपुर पाली गोपाल नंदन पाल, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड पाली एवं अपूर्व मेहरोत्रा, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मानपुर की खण्डपीठ गठित की गई है। रामसहारे राज, तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश/नोडल अधिकारी नेषनल लोक अदालत, ने बताया कि नेषनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरणों, चौक बाउंस के प्रकरणों, पारिवारिक एवं वैवाहिक प्रकरणों, मोटरयान क्षतिपूर्ति दावा प्रकरणों आदि का निराकरण किया जावेगा। बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रिलिटिगेषन प्रकरणों का भी निराकरण किया जावेगा। नेषनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर संपूर्ण कोट फीस की वापसी हो जाती है तथा विवाद हमेशा के लिये समाप्त हो जाता है। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकायों एवं विद्युत अधिनियम से संबंधित प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में शासन के द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार छूट प्राप्त होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया द्वारा जन सामान्य से नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराने एवं विवाद रहित समाज की स्थापना में न्यायालय का सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

किसान समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन कार्य के लिए पंजीयन कराये

उमरिया

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जिले में पंजीयन का कार्य 20 फरवरी 2025 से प्रारंभ हो गया है। जो कि 10 मार्च 2025 तक चलेगा। भारत सरकार द्वारा रबी वर्ष 2024-25 (विपणन वर्ष 2025-26) के लिए, औसत अच्छी गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) के चना, मसूर एवं राई-सरसों का समर्थन मूल्य क्रमशः रूपये 5650 प्रति क्विंटल, रु. 6700 प्रति क्विंटल, तथा रूपये 5950 प्रति क्विंटल, घोषित किया गया है।

मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल के माध्यम से रबी विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन हेतु किसान पंजीयन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए है। गेंहू पंजीयन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुरूप खाद्य विभाग के पोर्टल पर ही चना, मसूर एवं सरसों के कृषकों का पंजीयन किया जाएगा।

अंडर ब्रिज होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय तक सड़क निर्माण की मांग

कोतमा

नगर के पुराने रेलवे फाटक से अंडर ब्रिज होते हुए उत्कृष्ट विद्यालय तक रेलवे के द्वारा सीसी सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया था लेकिन वर्तमान में उस सड़क की हालत जर्जर होने लगी है । सड़क की गिट्टी उखड़ने लगी है। सड़क खराब होते जा रही है वहीं रेलवे अंडर ब्रिज के दोनों तरफ सीमेंट का बड़ा ब्रेकर बना दिया गया था।

जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी हो रही है वर्तमान में ब्रेकर की स्थिति यह है कि दोनों तरफ के ब्रेकर में आधे आधे ब्रेकर उखड़ गए हैं। जिसके कारण वाहन चालक किनारे से वहां निकल रहे हैं और साइड का ध्यान नहीं रखने के कारण आए दिन दुर्घटना घटित हो रही है । जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के ब्रेकर का निर्माण नहीं करवाया जाए लेकिन मनमाने ढंग से ब्रेकर का निर्माण करवा दिया गया है जिसके कारण लोगों को कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने का अंदेशा बना रहता है। नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन से दोनों तरफ के ब्रेकर को हटवाये जाने की मांग की है।

नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका के प्रकरणों में छूट के दिशा-निर्देश जारी

उमरिया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में मार्च 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में नगरीय निकाय के प्रकरणों में संपत्ति कर अधिभार, जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में निर्धारित शर्तों के साथ छूट दी जायेगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया ने नागरिकों से लोक अदालत में विभिन्न करों के अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ लेने की अपील की है ।

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख रूपये तक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत तक और संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राषि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत तक और जल उपभोक्ता, प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी और मात्र एक बार ही दी जायेगी। नेशनल लोक अदालत के अंतर्गत आपराधिक, सिविल, विद्युत, चेक बाउंस, वैवाहिक, बैंक रिकवरी एवं अन्य प्रकार के समस्त राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत की जानकारी के लिये कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमरिया में संपर्क किया जा सकता है।

सड़क से हटकर पार्किंग करने व ट्रैफिक नियमों के प्रति किया जागरूक

रामनगर

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देश पर सड़क दुर्घटना रोकने हेतु विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों के पालन करने और रोड सेंस के बारे में हाई वे के किनारे शाम के समय ठेला, दुकानों के मालिकों को उनके सामने सड़क पर वाहन पार्किंग न कराने के लिए, जागरूक किया गया है। साथ ही हाईवे पर अनावश्यक खड़े वाहनों को भी हटवाया गया है।

न्याय निर्णायक अधिकारी ने की कार्यवाही

अमानक दूध, दही का विक्रय करने पर 30 हजार का जुर्माना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

जिले मे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर अमानक खाद्य पदार्थो का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने, लाइसेंस व पंजीयन निलंबित करने सहित दांडिक कार्यवाही जारी है।

न्याय निर्णायक अधिकारी व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती साधना कमलकांत परस्ते ने अमानक, खाद्य पदार्थ भैंस का दूध, दही और पनीर का विक्रय करने पर फर्म दूध डब्बा झिंझरी के संचालक लेखराज चौधरी पिता मोहनलाल चौधरी निवासी बरगवां वंशस्वरूप वार्ड, कटनी पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी द्वारा विगत 26 अप्रैल 2023 को झिंझरी स्थित दूध डेयरी की दुकान दूध डब्बा के संचालक की उपस्थिति में निरीक्षण के दौरान मौके पर दूध, दही एवं पनीर वगैरह का संग्रह कर विक्रय करते हुए पाया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त व्यवसाय का एफ. एस.एस.ए.आई के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन पाया गया। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालक प्रकाश सलूजा पिता स्वर्गीय राज सिंह सलूजा द्वारा बताया गया कि दुकान का सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपये से कम है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में विक्रय हेतु संग्रहित दूध, दही एवं पनीर में मिलावट की आशंका होने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए गवाहों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया जाकर दूध, दही एवं पनीर के नमूने लिये जाकर जांच हेतु सीलबंद लिफाफा भेजा गया।

कार्यालय अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा उक्त नमूने की परीक्षण रिपोर्ट 26 सितंबर 2023 को प्रेषित कर उक्त दूध, पनीर एवं दही के नमूने अवमानक होने की सूचना दी गई। रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात विक्रेता को दही के नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति सहित नमूने के द्वितीय भाग को पुनः परीक्षण कराये जाने बाबत डाक पत्र से सूचित किया गया। किंतु विक्रेता द्वारा इस संबंध मे कोई आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विक्रेता के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 नियम 2011 के अंतर्गत संबंधित न्यायालय मे विधिवत मुकदमा चलाये जाने हेतु प्रकरण प्रकरण की नकल एवं मूल दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन कटनी को प्रस्तुत कर अभियोजन की स्वीकृति हेतु माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन को प्राप्त करने के पश्चात भी अपना कोई जवाब नहीं दिया तथा लगातार अनुपस्थित रहने के कारण अपने पक्ष में कोई भी कोई भी जवाब प्रस्तुत नहीं कर सका। जिससे विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक और मानक अधिनियम 2006 की धाराओं का उल्लंघन पाए जाने तथा लोक स्वास्थ्य हित में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माने से दंडित होने के कारण मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के प्रावधानों उल्लंघन करने तथा दंड का भागी पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी शसाधना परस्ते द्वारा अनावेदक दूध डिब्बा फर्म के संचालक लेखराज चौधरी को 30 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। उपरोक्त अर्थदंड की राशि निर्धारित ट्रेजरी चालान के माध्यम से तीस दिवस के भीतर जमा कर चालान की प्रति अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी न्यायालय मे प्रस्तुत करनी होगी।

खबर संक्षेप

बस से नीचे गिरे कंडक्टर की हो गई मौत

कटनी। चलती बस से अचानक कंडक्टर नीचे गिर गया। कंडक्टर को गंभीर चोट आने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा माधवनगर थाना अन्तर्गत दुगाड़ी नाला के पास गत दिवस हुआ। बताया गया है कि बस एमपी 21 पी 0343 कटनी से सिलौड़ी जा रही थी। माधवनगर के आगे एमपीईबी रेस्ट हाउस के पास सवारी बैठाने के लिए दरवाजे से बाहर की ओर कंडक्टर विपिन राय झुका, तभी चालक ने बस में ब्रेक लगा दिया जिससे कंडक्टर बाहर की ओर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद मौके पर मजमा लग गया, राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची और कंडक्टर को जिला अस्पताल भेजा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि मृतक ढीमरखेड़ा के सिलौड़ी का रहने वाला है जो लंबे समय से बस में कंडक्टर का काम किया करता था। पुलिस अन्य तथ्यों को जांचन में लगी है। पुलिस ने बताया है कि जिस बस से हादसा हुआ है, उस बस को जब्त कर थाने में खड़ा करा दिया गया है। कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद बस को छोड़ा जाएगा।

कन्हवारा में लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम में कलेक्टर ने सुनीं समस्याएं

गांव पहुंचा प्रशासन, लोगों ने बताईं पीड़ा

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कन्हवारा ग्राम में गुरुवार को आयोजित हुए जिले के पहले लोक सुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम में 86 लोगों ने पहुचकर अपनी समस्याओं का आवेदन दिया। यहां मौजूद कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने पूरी गंभीरता और संजीदगी से ग्रामीणों का दुःख-दर्द सुना। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन, जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत भी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने यहां समस्याओं के निराकरण की आस में पहुंचे हर व्यक्ति से मुलाकात की। ग्रामीणों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं और शिकायतों की तफसील से किस्सागोई बयां किया और आवेदन दिया। कलेक्टर ने यहां पहुंचे हर व्यक्ति से पूरी आत्मीयता से भेंट की और धैर्यपूर्वक एक - एक ग्रामीण की समस्या के निदान हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मंगलवार की जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले हर आवेदनों की ही भांति कलेक्टर लोकसुनवाई सह जनसंवाद कार्यक्रम में भी प्राप्त सभी समस्यामूलक आवेदनों की समय-सीमा बैठक में स्वयं व्यक्तिगत समीक्षा करेंगे और इनमें संबंधित विभागों द्वारा निराकरण हेतु किए गए प्रयासों की

स्थिति की जानकारी लेंगे।

ट्रांसफार्मर की समस्या

कछगवां जोबा निवासी नत्थूलाल पटेल ने लोकसुनवाई एवं जनसंवाद शिविर में कलेक्टर को अवगत कराया कि गांव जोबा के नलजल सप्लाई कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर काफी दिनों से बंद है, जिससे गांव में पानी की आपूर्ति में दिक्कत होती है और नलजल सप्लाई वाले ट्रासफार्मर को खेती वाली बिजली की लाइन से जोड़कर जल आपूर्ति की जा रही है। जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार एक अन्य मामले में सहसपुर के किसनों ने अवगत कराया कि कृषि कार्य हेतु विद्युत पंप चलानें के लिए पर्याप्त मात्रा में बोल्टेज नहीं मिल पा रहा है इसके लिए विद्युत लाईन बढ़ाने और अतिरिक्त ट्रास्फार्मर लगाने की किसानों द्वारा मांग की गई। यहीं के किसानों ने कलेक्टर को अवगत कराया कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगानें से कृषि कार्य हेतु पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। कलेक्टर ने इसके निराकरण के लिए बिजली विभाग के अधीक्षण यंत्री को निर्देशित करते हुए इन आवेदनों के नियमित पर्यवेक्षण के लिए समय-सीमा बैठक की सूची में भी दर्ज करनें के निर्देश दिए ताकि मॉनिटरिंग हो सके।

2 माह से खराब पड़ा हैण्डपंप

कन्हवारा के पंच सुखेन्द्र सिंह ने बताया कि लगभग 2 माह से उनके मोहल्ले का हैंडपंप खराब और बिगड़ा है। इसका सुधार नहीं हो पाया है। इस पर कलेक्टर श्री यादव ने तत्काल मौके पर कार्यपालन यंत्री पीएचई को तलब कर हैण्डपंप का सुधार कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

रिकार्ड इन विभागों के लगे स्टॉल

लोकसुनवाई, जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पंजीयन काउंटर के अलावा विद्युत विभाग, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, सामाजिक न्याय एवं निशक्त विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनजातीय कार्य विभाग , सूक्ष्म लघु एवं उद्यम विभाग, ग्रह विभाग, शिक्षा विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के काउंटर लगाए गए थे। लोकसंवाद कार्यक्रम के दौरान एएसपी संतोष डहरिया, एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा, तहसीलदार बीके मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी नयन सिंह, जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित मौजूद रहे।

जबरन न लगाएं रंग गुलाल, सद्भाव से मनाए होली का पर्व

हरिभूमि न्यूज ▶▶ उमरियापान

आगामी पर्व होली,धुरेड़ी, ईदुल फितर और चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर उमरियापान पुलिस थाना में गुरुवार शाम को शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी दिनेश तिवारी ने कहा कि होली और ईदुल फितर का पर्व हिन्दू मुस्लिम दोनों ही भाईचारे के साथ मनाए। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से विवाद न करें। कीचड़ और गंदगी से होली न खेलें।एक दूसरे को जबरदस्ती रंग गुलाल न लगाएं।लड़ाई झगड़े हो तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। नायब तहसीलदार अजय कुमार मिश्रा ने कहा कि बिजली तारों और फसलों के समीप होलिका न जलाएं।व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान पर ही होलिका दहन करें।जुलूस आदि निकालकर हुड़दंग नहीं मचाएं।इसके अलावा नवरात्रि पर्व को भी श्रद्धा पूर्वक मनाने कहा। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने भी अपने अपने सुझाव रखे।

इस दौरान शिवकुमार चौरसिया, विजय दुबे,अटल ब्यौहार,आशीष चौरसिया, बसंत चौरसिया,राजेश ब्यौहार,जयप्रकाश चौरसिया, ललित गौतम,वंशरूप चौरसिया, सुखदेव चौरसिया, जगन्नाथ मांझी, जितेन्द्र अरोरा, पारस पटेल,शैलेन्द्र पौराणिक,संदीप सोनी,महेंद्र कोरी, अय्यूब खान,मोहम्मद हनीफ, सलीम शाह,अरुण गुप्ता,शिवम गौतम, स्वतंत्र चौरसिया,सत्तू सोनी, अंकित झारिया,केके चौरसिया ,राकेश यादव,राजेंद्र चौरसिया, पंकज नामदेव सहित अन्य लोगों की उपस्थिति रही।

शराब की अवैध बिक्री रोकने बरही पुलिस ने की कार्यवाही

अलग अलग स्थानों में दबिश देकर जब्त की गई 68 हजार की शराब

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

बरही पुलिस ने त्यौहार के पूर्व शराब अवैध शराब बिक्री एवं कच्ची शराब बनाने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की है। थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धावें के मार्गदर्शन में आगामी त्योहार होली एवं रमजान आदि को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा परसवारा मोड पारधी टोला में दबिश देकर अवैध शराब एवं महुआ लाहन नष्टीकरण की कार्यवाही करते हुए कुल 30 कंटेनर

में प्रत्येक में 15 किलोग्राम कुल 450 किलोग्राम महुआ लाहन कीमती करीबन 45000 रूपए को जप्त कर नष्टीकरण की कार्यवाही की गई एवं मौके पर 10 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती करीबन 4000 रुपए जप्त किया गया। आरोपितों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

यहां से जब्त की गई शराब

थाना क्षेत्र में अलग– अलग स्थानों उबरा, झिरिया, बड़गांव, मिडकी, करोंदीकला, करेला, बुजबुजा, छिंदहाई पिपरिया खिरहनी में दबिश देकर अवैध शराब बेचने वाले 09 व्यक्तियों विरूद्ध कुल 115 पाव देशी मदिरा प्लेन, 12नग वियर, 25 लीटर कच्ची महुआ शराब इस प्रकार कुल 18300 रूपये की शराब जप्त कर कार्यवाही की गई।

सार्वजनिक स्थान पर शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने वाले 05 व्यक्तियो को मोके पर गिरफ्तार कर धारा 170 BNSS के तहत कार्यवाही कर तहसील कार्यालय बरही पेश किया गया है।

पूरी कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही शैलेन्द्र सिंह यादव, उ. नि विनोदकांत सिंह, स. उ.नि देवानंद शर्मा, प्र आर व्यास गुप्ता ,सतीश हल्दकार, उदयपाल सिंह , सीताराम वर्मा, आर. अवधेश,पूरन,सोनू आर्मो, सुनील मरकाम व आर. आशीष की विशेष भूमिका रही।

शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रूपए का लगा जुर्माना

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बरही

शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के विरुद्ध बरही पुलिस द्वारा करते हुए, न्यायालय में पेश किया गया जहां पर न्यायालय द्वारा 10,000 रूपए का जुर्माना लगाया गया। बरही थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में एवं अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ वीरेंद्र धावें के मार्गदर्शन में आगामी त्योहारों को दृष्टिगत व वाहन दुर्घटना पर नियंत्रण रखने हेतु पुलिस द्वारा अभियान के दौरान कमानिया गेट बरही पास

बोलेरो क्र. MP 21MC 7777 का चालक पप्पू लोनी पिता रामप्रसाद लोनी 37 साल निवासी पोडिया थाना इंदवार जिला उमरिया को शराब के नशे मे वाहन चलाते पाये जाने पर मौके से उक्त बोलेरो वाहन को जप्त कर चालक के विरूद्ध धारा 185 मो. व्ही.एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर जेएमएफसी बरही न्यायालय मे पेश किया गया। माननीय न्यायालय व्दारा वाहन चालक पप्पू लोनी के विरूद्ध 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

कार्यवाही में थाना प्रभारी बरही शैलेन्द्र सिंह यादव, उ.नि विनोदकांत सिंह, , आर. अवधेश सिंह, आर. पूरन सिंह व आर. चालक संजय पाण्डेय की मुख्य भूमिका रही।

रेलवे कालोनी की सीवर लाइन के लिए फिर से होगा सर्वे

डीआरएम के निर्देश से बंद हुआ काम, सड़कों की कर रहे भराई

शहडोल। रेलवे कालोनी में सीवर लाइन बिछाने का काम विगत कुछ महीनों से बंद पड़ा है। यहां सीवर लाइन बिछाने का काम गलत नियोजन से किया जा रहा था, जिसका विरोध किया गया था। इस संदर्भ में बिलासपुर मुख्यालय डीआरएम ने संज्ञान में लिया था और निर्देश दिया था कि कालोनी में नए नक्शे के अनुरूप सीवर बिछाने का काम किया जाए। मप्र अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा यह काम कालोनी में जिस ढंग से किया जा रहा था वह न केवल बेमानी था बल्कि असुविधा और परेशानी खड़ी करने वाला था। इस कार्य को देखकर साउथ ईस्ट सेंटर रेलवे श्रमिक यूनियन महामंत्री मनोज बेहरा ने न केवल सीवर लाइन काम में आपत्ति उठाई बल्कि रेलवे के उच्च अधिकारियों का ध्यान भी आकृष्ट कराया था। इस पर काम बंद करा दिया गया था और पुराने गड्ढों की भराई कराने कहा गया था।

फिर बनेगा सीवर लाइन का नक्शा

बताया गया कि रेलवे कालोनी के आवासों में लेट्रिन के टैंक पीछे की ओर है, जबकि सड़कें सामने की ओर हैं, वहां से टैंक का लिंक जोड़ा जाना बहुत कठिन था, इस तकनीकी कठिनाई के कारण वहां नए नक्शे की आवश्यकता नजर आती है। लेट्रिन टैंक की स्थिति को देखते हुए अब पुनः नक्शा बनाया जाएगा। इसके लिए सीवर लाइन कंपनी के अधिकारी नया सर्वे करेंगे और रेलवे अधिकारियों से चर्चा के बाद रेलवे कालोनी में सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाएगा। इस दौरान कालोनी की कई सड़कों को बीच से खोद कर बर्बाद कर दिया गया है। जिससे कालोनीवासियों को आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर रात के समय यहां आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है।

पहले सड़कों की मरम्मत कराओ

रेल सहायक अभियंता ने एमपीयूडीसी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पहले कालोनियों की जिन सड़कों को खोदा गया है पहले उसके गड्ढों की भराई कराई जाए और सड़कों की मरम्मत करा उन्हें पूर्व की भांति बनाया जाए। इसके बाद नया काम शुरू कराया जाए। कंपनी द्वारा अभियंता के निर्देश के परिपालन में काम भी शुरू कराया गया है। कुछ सड़कों का काम हुआ भी है, कुछ सड़कें अभी शेष हैं। ज्ञातव्य है कि कालोनी में कुछ ही महीने पहले रेलवे द्वारा सड़कों का नवनिर्माण कराया गया था। उसके बाद सीवर लाइन का काम कराया जाने लगा था। लेकिन काम चूंकि गलत ढंग से कराया जा रहा था जिससे कालोनीवासियों को परेशानी हो रही थी इस कारण विरोध किया गया था।

वर्षों बाद बनी थी सड़कें

रेलवे कालोनी की सड़कें वर्षों से बदहाल पड़ी थीं, कालोनी का मुख्य मार्ग भी काफी दिनों से जर्जर था, जिसके रखरखाव को लेकर काफी दिनों से मांग की जा रही थी। इस पर रेल प्रशासन ने मुख्य मार्ग सहित कालोनी की सड़कों के लिए कार्य स्वीकृत कर निर्माण शुरू करा दिया था। सड़कें काफी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण बनाई गई थीं। सड़क बनने से कालोनीवासियों को आवाजाही की सुविधा होने लगी थी, उसी बीच कंपनी ने सीवर लाइन बिछाने के लिए बिना सोचे समझे गड्ढे खोदना और चेम्बर बनाने का काम शुरू कर दिया। इस पर रेल कर्मचारियों ने आपत्ति कर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया था। अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान में लिया था, इस कार्य में महामंत्री मनोज बेहरा ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इनका कहना है

रेलवे कालोनी में गैरनियोजित ढंग से पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था। जिसका विरोध कर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया था। जिस पर डीआरएम ने अनुकूल निर्णय लिए थे। उस अनुरूप काम अभी रुका है और नए सर्वे के अनुसार सीवर लाइन बिछाने का काम किया जाएगा।

मनोज बेहरा

शहर को टी.बी मुक्त बनाने महापौर ने ली शपथ, सहयोग की अपील

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत भारत सरकार द्वारा देश के 347 चयनित जिलों के तहत कटनी जिले में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान 7 दिसंबर 2024 से प्रांरभ किया गया जो कि आगामी 24 मार्च 2025 विश्व क्षय दिवस तक संचालित किया जाएगा।उक्त अभियान अंतर्गत सहयोग देने हेतु 6 मार्च को महापौर प्रीति संजीव सूरी ने एमआईसी सदस्यों एवं पार्षद साथियों के साथ अपने जीवनकाल में टी.बी (क्षयरोग) को समाप्त करने,टी.बी से स्वयं को, अपने परिवार ,अपने सहकर्मी व आस-पास के लोगों को बचाने,खाँसने के दौरान सही तरीक़ों का पालन करने,अपने गाँव, जिले, राज्य और अपने भारत देश को टी बी मुक्त बनाने की शपथ ली।

महापौर सूरी ने कहा कि सभी नागरिक टी बी

जैसी बीमारी को नष्ट करने हेतु अधिक से अधिक जागरूकता रखते हुए टी बी के लक्षण जैसे दो सप्ताह से अधिक खांसी,बुखार,रात में पसीना आना,छाती में दर्द,वजन कम होना,भूख कम होने,बलगम में खून आने पर तुरंत अपने नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में टी.बी की जाँच अवश्य कराये ताकि इसका समय पर उपचार किया जा सके। यह एक संक्रामक रोग है जो उपचार के अभाव में जानलेवा भी हो सकता है। अतः सभी नगर वासियों से टी बी की बीमारी को अपने देश समाज से नष्ट करने हेतु सहयोग की अपील की है।

मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान पर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

बड़वारा। गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बड़वारा द्वारा पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता को भिखारी कहने पर इस्तीफ़ा की माँग को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम बड़वारा तहसीलदार को ज्ञापन दिया एवं पुतला दहन किया गया जिसमे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विकास निगम, मोहम्मद इश्राइल युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष बड़वारा, शैलेश जायसवाल, ओंकार सिंह टेकाम, अंशुल राजपूत ,संदीप बैरागी, रवि बैरागी, गणेश निगम, नीरज अहिरवार, अमित चौधरी, शिवचरण चौधरी उर्फ चैनी, शिवम, बिट्टू, संजय रजक, किरण यादव, कान्हा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कक्षा 10वीं की परीक्षा में 13927 परीक्षार्थी हुए शामिल

लापरवाही पर पर्यवेक्षकों को शोकाज नोटिस थमाया

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दिलीप कुमार यादव के निर्देशन में कटनी जिले में 10वी एवं 12वी बोर्ड की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से संचालित है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार 6 मार्च को 10वीं बोर्ड के संस्कृत विषय की परीक्षा जिले के 97 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई। परीक्षा के दौरान कुल दर्ज 14 हजार 244 परीक्षार्थियों में से 13 हजार 927 परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान उपस्थित रहे तथा 317 परीक्षार्थी परीक्षा में अनुपस्थित रहे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा बोर्ड परीक्षाओं के निरीक्षण के लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों द्वारा आज परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचकर परीक्षाओं का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी श्री पी.पी. सिंह ने शासकीय हाई स्कूल सुरमा स्थित परीक्षा केन्द्रों का अवलोकन किया। जबकि सभी 97 परीक्षा केन्द्रों में कलेक्टर प्रतिनिधि उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार का नकल का प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

गुरुवार 6 मार्च को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के संस्कृत की परीक्षा आयोजित की गई। इस दौरान सहायक संचालक राजेश अग्रहरि, एडीपीसी अभय जैन, प्राचार्य आलोक पाठक के निरीक्षण दल ने परीक्षा केंद्रों कांटी बरहटा, सिंगौड़ी उत्कृष्ट विजयराघवगढ़ का आकस्मिक निरीक्षण किया, परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित पाई गई। इस बीच परीक्षा केंद्रों सिंगौड़ी और उत्कृष्ट विजयराघवगढ़ में पर्यवेक्षकों द्वारा लापरवाही बरतने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने हेतु प्रतिवेदन दिया गया है।

जिले में 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा नवीन शिक्षा सत्र

कटनी। जिले में नवीन शिक्षा सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ होगा। कक्षा पहली में प्रवेश प्रक्रिया 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है, जबकि कक्षा दूसरी से आठवीं तक के वर्तमान छात्रों का अगली कक्षा में नामांकन 25 मार्च 2025 तक पूरा किया जाएगा। 31 मार्च तक समग्र शिक्षा पोर्टल पर सभी छात्रों का डेटा अद्यतन करने के निर्देश राज्य शिक्षा केन्द्र के हैं। 17 मार्च तक अभिभावकों को आमंत्रित किया जाएगा, जिनके साथ 1 अप्रैल को विद्यालयों में आयोजित विशेष बाल सभा में शैक्षणिक नीतियों पर चर्चा की जाएगी। इस दिन प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश उत्सव के तहत नए छात्रों का तिलक लगाकर स्वागत, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण और विशेष मध्यान्ह भोजन का आयोजन होगा।

नगर परिषद अध्यक्ष के प्रयास से अमलाई रेलवे स्टेशन होगा आधुनिक और सुविधायुक्त

अमलाई। नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती गीता गुप्ता के प्रयासों के बाद अमलाई रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों की दिशा में रेलवे प्रशासन को भेजे गए पत्र के बाद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल ने इस स्टेशन को स्वच्छ, सुंदर और यात्री सुविधाओं से युक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।नगर परिषद बरगवां अमलाई की अध्यक्ष श्रीमती गीता गुप्ता ने बताया कि अमलाई रेलवे स्टेशन, जो बिलासपुर से कटनी के बीच सबसे बड़े प्लेटफार्मों में से एक है, यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यात्रियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिवीजनल रेलवे मैनेजर, बिलासपुर सहित रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा था, जिसमें स्टेशन के सुधार कार्यों की मांग की गई थी। रेलवे प्रशासन ने इस पत्र को गंभीरता से लेते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्रारंभ किया है। इनमें स्टेशन परिसर और आसपास की सफाई, मुख्य मार्ग के सड़क निर्माण, सभी प्लेटफार्मों पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, एलईडी लाइट, पंखे और

स्वच्छ शौचालय की स्थापना शामिल हैं। इसके अलावा, प्लेटफार्म नंबर 1 पर एक आधुनिक वेटिंग रूम बनाया जाएगा, जबकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ाई जाएगी।

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फ्ल-फ्रूट और खान-पान के स्टॉल लगाए जाएंगे तथा बैठने के लिए अतिरिक्त बेंच की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्लेटफार्मों पर कोच पोजीशन डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को गाड़ियों के कोच की सही स्थिति की जानकारी मिल सके। दिव्यांग यात्रियों के लिए प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर विशेष रैंप ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे उनकी यात्रा सुगम हो सके। इसके अतिरिक्त, रेलवे चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था और प्लेटफार्म नंबर 1 के शेड की ऊंचाई बढ़ाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।नगर परिषद अध्यक्ष के पत्र का संज्ञान लेते हुए रेलवे प्रशासन ने अमलाई रेलवे स्टेशन के उन्नयन की कार्ययोजना को मंजूरी दे दी है। डीआरएम बिलासपुर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी आवश्यक कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

महिला दिवस पर आज जिले भर मे आयोजित किये जायेंगे विविध कार्यक्रम

अनूपपुर। प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्रेम प्रकट करते हुए, महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं कठिनाइयों की सापेक्षता के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानव अधिकार विषयवस्तु के साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए मनाया जाता हैं। कुछ लोग बैंगनी रंग के रिबन पहनकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। सबसे पहला दिवस, न्यूयॉर्क नगर में 1909 में एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। 1917 में सोवियत संघ ने इस दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, और यह आसपास के अन्य देशों में फैल गया। इसे अब कई पूर्वी देशों में भी मनाया जाता है।

यह है महिला दिवस का इतिहास

अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर, यह दिवस सबसे पहले 28 फ़रवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने, महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिये हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। ज़ार ने सत्ता छोड़ी, अन्तरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उस समय रूस में जुलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अन्तर है। जुलियन कैलेंडर के मुताबिक 1997 की फरवरी का आखिरी इतवार 2 फ़रवरी को था जब की ग्रेगेरियन कैलैंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में (यहां तक रूस में भी) ग्रेगेरियन कैलैंडर चलता है। इसी लिये 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा ज़ेटकिन के जोरदार प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलीडे को सहमति दी। इसके फलस्वरूप 19 मार्च, 1911 को पहला IWD ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। महिला दिवस के अवसर पर जिले भर मे कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

लोक अदालत में छूट प्राप्त कर बकाया राशि जमा करने की अपील

नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

अनूपपुर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार 8 मार्च 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय कोतमा/राजेन्द्रग्राम में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर 07 खण्डपीठ, तहसील सिविल न्यायालय कोतमा हेतु 05 खण्डपीठ एवं राजेन्द्रग्राम हेतु 03 खण्डपीठ का गठन किया गया है। इस प्रकार जिले में कुल 15 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक, व्यवहारिक, धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण, विद्युत चोरी के प्रकरण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगर पालिका के पूर्ववाद प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में अपने-अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु उपस्थित होने वाले पक्षकारगण की सहायता हेतु हेल्प डेस्क का गठन किया जाकर पैरालीगल वालेंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जआमजन व पक्षकारगण से अपील की गई है कि न्यायालय में लंबित एवं पूर्ववाद प्रकरणों का आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का निराकरण करवाकर शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें, जिससे पक्षकारों के मध्य आपसी सदभाव उत्पन्न होता है व शत्रुता समाप्त होती है तथा समय, धन व श्रम की बचत होती है।

ब्याज की राशि पर मिलेगी 100 प्रतिशत की छूट

8 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत मे प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) तथा न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने हेतु नियमानुसार छूट संबंधी निर्देश अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू,

लोक अदालत में विद्युत बकायेदार करवा सकेंगे प्रकरणों का निराकरण

समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जावेगी जिसके अंतर्गत प्री-लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। वही लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छः माही चक्र वृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। उपरोक्तानुसार छूट नियम एवं शर्तों के तहत दी जावेगी।

यह होंगी शर्तें

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता / उपयोगकर्ता की विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन / संयोजनों के विरुद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभप्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरुद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी / अनाधिकृत उपयोग पहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जावेगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग के प्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता छूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य विद्युत देयकों के विरुद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जावेगी। लोक अदालत में उपरोक्तानुसार दी जा रही छूट आंकलित सिविल दायित्व राशि दस लाख रूपये तक के प्रकरणों के लिये सीमित रहेगी । उक्त छूट मात्र लोक अदालत में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार वसूल की जावेगी।

बकायेदार आज करवा सकेंगे प्रकरणों का निराकरण

प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभाग ने वितरण केन्द्रवार 1085 प्रकरणों पर कुल बकाया राशि 1 करोड 60 लाख 79 हजार 4 सौ 93 बकायादारों को नोटिस दिया है वही लिटिगेशन स्तर पर वितरण केन्द्रवार 137 प्रकरणों पर 32 लाख 73 हजार 79 रूपये की नोटिस बांटकर उन्हे लोक अदालत मे छूट का लाभ लेते हुये प्रकरण निराकृत करने की समझाइश दी है। लोक अदालत मे सभी वितरण केन्द्रों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे। इस संबंध मे विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता जीपी गोस्वामी व कार्यपालन अभियंता अरूणेन्द्र प्रसाद मौर्य ने विद्युत बकायेदारों से लोक अदालत मे पहुंचकर शासन द्वारा दी जाने वाली छूट प्राप्त करते हुये लाभ लेने की अपील की है।

पांच माह पूर्व मारपीट से आई चोट पर उपचार दौरान वृद्ध की मौत

अनूपपुर। पांच माह पूर्व मारपीट से आई चोट पर निरंतर उपचार कराए जाने पर शुक्रवार की सुबह 66 वर्षीय बृद्ध की जिला अस्पताल अनूपपुर में मौत हो गई जिस पर परिजनों ने मारपीट के कारण मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही की मांग की है। अस्पताल पुलिस द्वारा कार्रवाई की। घटना के संबंध में बताया गया कि 7 अक्टूबर अनूपपुर तहसील के सामने बद्री प्रसाद राठौर पिता स्व,रामाधीन राठौर एवं पुत्र भगवान दास राठौर 34 वर्ष निवासी भगतबांध के साथ भगवान दास राठौर की पत्नी सरोज राठौर के साथ पूर्व से चल रहे विवाद पर अनूपपुर न्यायालय में खाना खर्चा का प्रकरण विचाराधीन है जिस पर सामतपुर में समाज के लोगों द्वारा सामाजिक बैठक कराई गई। बैठक में अन्य लोगों के समझाये जाने पर दोनों पक्ष तहसील में जाकर शपथ पत्र बनवाने को पहुंचे इसी बीच भगवान दास की पत्नी सरोज राठौर उसका भाई रुद्रप्रताप राठौर, ससुर भीखम राठौर ने गाली-गलौज करते हुए भगवान दास एवं बदी प्रसाद राठौर के साथ मारपीट की जिससे भगवान दास के शरीर में चोट आई वही बद्री प्रसाद राठौर के सिर तथा शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आने पर कोतवाली अनूपपुर पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 445/24 दर्ज करते हुए कार्यवाही की रही सिर में गंभीर चोट होने के कारण बद्री प्रसाद राठौर को जिला चिकित्सालय अनूपपुर, प्राइवेट चिकित्सालय शहडोल एवं रायपुर में उपचार कराए जाने के साथ तथा बीच-बीच में तबीयत खराब होने पर जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराते हुए उपचार कराया कुछ दिनों में कुछ ठीक हो जाने पर घर ले जाते रहे गुरुवार 6 मार्च को फिर से तबीयत खराब होने पर बद्री प्रसाद राठौर को जिला चिकित्सालय अनूपपुर में भर्ती कराया गया जिस पर उपचार दौरान शुक्रवार 7 मार्च की सुबह उपचार दौरान मृत्यु हो गई। मृतक के पुत्र भगवान दास राठौर एवं परिजनों द्वारा पूर्व में पत्नी सरोज राठौर,साला रूद्र प्रसाद राठौर एवं ससुर भीखम राठौर तीनों निवासी सामतपुर/अनूपपुर पर पिता बद्री प्रसाद राठौर के साथ मारपीट करने के कारण आई चोट से उपचार दौरान मृत्यु होने का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्यवाही किए जाने की मांग की है। मृतक वृद्ध की मृत्यु पर ड्यूटी डॉक्टर की सूचना पर जिला अस्पताल पुलिस द्वारा परिजनों एवं अन्य की उपस्थिति में मृतक के शव का पंचनामा कर डियूटी डॉक्टर से मृतक के शव का पीएम करा कर जांच की।

चना, मसूर एवं सरसों उपार्जन के लिए कृषकों का पंजीयन 10 मार्च तक

अनूपपुर। रबी विपणन वर्ष 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों फसल के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए गत 20 फरवरी से किसान पंजीयन प्रारंभ हैं। आगामी 10 मार्च तक जिले में बनाए गए 8 पंजीयन केन्द्रों पर कृषक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। कलेक्टर शहर्षल पंचोली ने तहसील पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित राजेन्द्रग्राम, आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित बेनीबारी को, तहसील अनूपपुर अंतर्गत आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित दुलहरा, आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित अनूपपुर, आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित पसान, आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित मझगवां (फुनगा) को, तहसील जैतहरी अंतर्गत आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित जैतहरी तथा तहसील कोतमा अंतर्गत आ.जा. सेवा सह. समिति मर्यादित बिजुरी को पंजीयन केन्द्र बनाया है। उन्होंने जिले के समस्त कृषकों से निर्धारित समयावधि में फसल विक्रय के लिए पंजीयन कराने तथा शासन की योजना का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

गौमाता को पशु कहकर उद्बोधित करना मातृ आस्था का अपमान

गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना देश की आध्यात्मिकता का सम्मान

अमरकंटक। परमधर्म सांसद श्रीधर शर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी कि ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत विभूषित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मुहिम छेड़ी थी कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए और इसके लिए उन्होंने इस दिशा में राष्ट्रीय स्तर पर अपने कदम बढ़ाते हुए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और इस परिपेक्ष्य में सरकार को अंतिम अवसर स्वामी ने प्रदान किया था कि 17 मार्च तक देश में गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर हम सनातनी हिंदुओं की आध्यात्मिकता का सम्मान करें। परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में वेद, उपनिषद, पुराणों सहित समस्त धर्म शास्त्रों में गाय की महिमा का जिस प्रकार से वर्णन किया गया है, वो हमारे हिंदुत्व और सनातनी हिंदुओं के लिए आस्था के अध्याय को वर्णित करने वाला है और सनातन धर्म में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में गाय को पशु नहीं, अपितु माता की प्रतिष्ठा दी गई है, यही सनातन धर्मी हिंदुओ की पवित्र भावना है, आस्था है। इसी धार्मिक आस्था हेतु संविधान एवं कानून में गाय को राज्य सूची से हटाकर केंद्रीय सूची में डालकर गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने तथा गौहत्या मुक्त भारत बनाने के लिए संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन लंबे समय से चलाया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से ही निरन्तर गौमाता की प्रतिष्ठा एवं रक्षा के प्रयास होते रहे हैं, जिसमें 1966 के धर्म सम्राट यतिचक्रचूडामणि पूज्य करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में हुआ प्रचलित गौरक्षा आंदोलन है, जिसके लिए

हजारों गौभक्तों का बलिदान हुआ था। इसी क्रम में गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाकर गोहत्या मुक्त भारत बनाने हेतु परम गोभक्त पूज्य गोपालमणि ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन का नेतृत्व कर देशभर में इसे जीवन्त रखा तथा इस पवित्र अभियान में चारो पीठों के जगद्गुरु शंकराचार्यों का आशीर्वाद प्राप्त किया। चारो पीठों के पूज्य जगद्गुरू शंकराचार्यों द्वारा अभिसिंचित एवं समर्थित गौमाता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने एवं गौहत्या बंदी कानून हेतु देश में गौ संसद का आयोजन हुआ, जिसमें रामा गौ प्रतिष्ठा संहिता बिल सहित 42 बिंदु का धर्मादेश भी पारित किया जा चुका है। गौ प्रतिष्ठा के इस अभियान को प्रज्वलित करने हेतु गौ घृत की ज्योति को प्रकाशित कर ज्योर्तिमठ के परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने इस आंदोलन का निर्देशन कर रहे हैं, जिन्होंने 14 मार्च से लेकर 28 मार्च 2024 तक नंगे पैर पदयात्रा गोवर्धन से दिल्ली तक भी की थी। पूज्य जगद्गुरू ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य के निर्देशन में गौ प्रतिष्ठा का अभियान निरन्तर देशभर में गतिमान है, जिन्होंने इस संवत्सर को गौ संवत्सर के रूप में घोषित भी किया है। पूज्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरू शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के निर्देशन एवं नेतृत्व में संपूर्ण भारत में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा दिनांक 22 सितंबर से 26 अक्टूबर 2024 तक की गई थी, जो भारत के समस्त प्रदेशों की राजधानियों तक की जाकर देश भर में गौभक्ति की अलख जगाई तथा वहां एक गो ध्वज की स्थापना भी की गई। गो प्रतिष्ठा आंदोलन के संयोजक पूज्य गोपाल मणि महाराज भी पूरे समर्पण और शक्ति के साथ यात्रा की सफलता हेतु प्राण-प्रण से शंकराचार्य के साथ हर कदम में साथ रहे। इस गो ध्वज स्थापना भारत यात्रा का लक्ष्य संपूर्ण भारत में गो प्रतिष्ठा आंदोलन हेतु समस्त राष्ट्र के गोभक्त हिन्दुओं को जागृत कर एक सूत्र में पिरोने का है तथा गोमाता की दुर्गति, गो हत्या के कलंक को मिटाकर कर, पशु के अपमान से हटा कर राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना है। परम धर्म सांसद श्रीधर शर्मा ने बताया कि स्वामी जी की अगुवाई में इस राष्ट्रव्यापी मुहिम में करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है और समूचे भारत वर्ष में बड़े पैमाने पर सनातन धर्म और संस्कृति के मानने वाले लोग स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ इस राष्ट्र व्यापी मुहिम में तन मन और धन से समर्पित होकर समर्थन दे रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी गुरू परम्परा को आगे बढ़ाते हुए अपने गुरू के पद चिन्हों में चलने का जो बीड़ा उठाया है, वह सराहनीय है और सनातनियों की आस्था के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह प्रयास निश्चित रूप से समूचे भारत वर्ष में गौ माता की रक्षा के निमित्त एक बड़ा प्रयास साबित होगा और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा।

संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध का शव मिलने से सनसनी

परिजनों द्वारा जमीनी विवाद पर दूसरे पक्ष पर लगाया मारने का आरोप

कोतमा। थाना अंतर्गत मुडधोवा गांव में रहने वाले 75 वर्षीय सम्पत महरा का शव शुक्रवार की सुबह खेत के पास बने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पाये जाने से सनसनी फैल गई। परिजनों द्वारा जमीनी विवाद पर यादव परिवार के कई लोगों पर हत्या की आशंका जताते हुए आक्रोशित नजर आए। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद भी चल रहा है। परिजनों द्वारा गांव के ही दूसरे पक्ष से जमीनी विवाद होने के कारण मार डालने का आरोप लगाया जा रहा है। सूचना पर एसडीओपी कोतमा आरती शाक्य सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंचते हुए घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करते हुए शव पीएम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोतमा भिजवाया गया। आधा दर्जन से ज्यादा संदेहियों से पूंछताछ की जा रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक का पुत्र कोदे महरा 47 वर्ष द्वारा लेदरा रोड के समीप अपने खेत में निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसका गांव के ही रामभजन यादव से जमीनी विवाद चल रहा है जिसके द्वारा स्टे भी लगवाया गया है। मामले को लेकर पूर्व में दोनों पक्षों द्वारा थाना में शिकायत भी कर चुके है। तहसील न्यायालय से स्टे होने को बाद निर्माण कार्य कराए जाने पर शुक्रवार को विवाद हुआ। सूचना पर पहुंची 100 डायल की टीम दोनों पक्षों को समझाते हुए वापस आ गई। विवाद के कुछ देर बाद कोदे महरा के द्वारा दूसरे पक्ष के खिलाफ थाना पहुंचकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप लगाया जाने लगा साथ ही गले से सोने की लॉकेट भी गायब बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

छात्राओं से अश्लील हरकत मामले में प्राचार्य एचएल बहेलिया निलंबित

25 जनवरी को प्राचार्य के विरुद्ध कोतवाली थाने दर्ज हुई थी शिकायत

अनूपपुर। जिला मुख्यालय की शासकीय उच्च विद्यालय अनूपपुर के प्राचार्य एच एल बहेलिया के विरुद्ध अपराध दर्ज के 20 दिनों के बाद जनजाति कार्य विभाग द्वारा भेजे गए निलंबन प्रस्ताव पर कमिश्नर शहडोल ने निलंबित कर दिया है, सूत्र के अनुसार अनूपपुर जनजाति कार्य विभाग मे मठाधीश के रूप में बैठे श्री वाजपेई ने प्राचार्य एच एल बहेलिया के निलंबन प्रस्ताव को कई दिनों तक दबा कर रखे हुए थे, कई तरह के हस्तक्षेप के बाद निलंबन के प्रस्ताव को कलेक्टर अनूपपुर के माध्यम से कमिश्नर शहडोल को भेजा गया। ज्ञात हो कि यह निलंबन प्राचार्य द्वारा छात्रों से छेड़छाड़ के मामले मे दर्ज हुई अपराध को लेकर किया गया है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर की छात्राओं ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए प्राचार्य बहेलिया पर छेड़छाड़ का अपराध दर्ज करवाया था। सूत्रों के अनुसार विगत कई दिनों से प्राचार्य बी एल बहेलिया द्वारा छात्राओं से की जा रही अश्लील हरकतें जिस पर छात्राएं लोक लज्जा के कारण इसकी शिकायत थाने में नहीं करती थी। आखिरकार छात्राओं ने एकजुट होकर हिम्मत दिखाते हुए 25 जनवरी को प्राचार्य के विरुद्ध कोतवाली थाने अनूपपुर मे अपराध दर्ज करवाया था।

बैड टच की शिकायत

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्राचार्य एच एल बहेलिया रविवार विद्यालय के अवकाश के दिन छात्राओं को अतिरिक्त कक्षाओं के नाम पर स्कूल बुलाते थे और उनसे बैड टच जैसे घिनौनी हरकतें करते थे, इन्हें इनकी हरकतों पर पहले भी चेतावनी दी गई थी, शिकायत न होने की वजह से इनके हौसले बढ़ते गए और फिर यह अपनी हदें पार करते चले गए।

कोतवाली पुलिस ने किया था गिरफ्तार

कोतवाली पुलिस अनूपपुर ने छात्राओं व उनके परिजनों की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 37/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट, अपराध क्रमांक 38/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9(ग) (च), 10 पास्को एक्ट एवं अपराध क्रमांक 39/25 धारा 74 बीएनएस 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर 25-01-2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के आदेशानुसार 26-01-2025 को जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध किया गया था।

कलेक्टर कार्यालय से यह हुआ आदेश

कलेक्टर, (जनजातीय कार्य विभाग) जिला अनूपपुर (म.प्र.) के पत्र क्र./710/शि.स्था.2/ज.का.वि./2025, अनूपपुर दिनांक 15-02-2025 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार एच.एल.बहेलिया, प्राचार्य शा. उत्कृष्ट उ.मा.वि.अनूपपुर के विरूद्ध 25-01-2025 को छात्राओं की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 37/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट, अपराध क्रमांक 38/25 धारा 74 बीएनएस, 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट एवं अपराध क्रमांक 39/25 धारा 74 बीएनएस 7, 8, 9 (ग) (च), 10 पास्को एक्ट पंजीबद्ध कर दिनांक-25-01-2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनूपपुर के आदेशानुसार दिनांक-26-01-2025 को जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध किया गया है तथा वर्तमान में श्री बहेलिया जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध हैं। श्री बहेलिया का उक्त कृत्य नैतिक अधःपतन की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने से दण्डनीय है। अतएव एच.एल. बहेलिया उक्त आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक अवधि के लिए जिला जेल अनूपपुर में निरूद्ध रहने के कारण उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत हिरासत के 25-01-2025 से ही निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बहेलिया का मुख्यालय कार्यालय सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, जिला अनूपपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बहेलिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

निखिल सिंघई
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
राजेन्द्रग्राम, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)
परिशिष्ट B – संख्यांक 1
सिविल कोर्ट राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अनूपपुर
वाद के निपटारे के लिए समन (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
आरसीएस ए/224/2016
अर्जुन सिंह बनाम सूनी बाई एवं अन्य
NEXT DATE: 12-03-2025
प्रषिती-
(1) मथुरा-पिता हीरा पनिका, (2)रामगरीब पिता तुलीराम निवासी अमरकंटक थाना अमरकंटक तहसील पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर म.प्र.,
ANUPPUR, MADYHA PRADESH
अजुन सिंह ने आपके विरूद्ध के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 12-03-2025 को 10:30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक अनुदेश दिए गए हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। न्यायालय में आपकी उपसंजाति के लिए जो दिन नियत किया गया है वह इस वाद के अन्तिम निपटारे के लिए नियत दिन है। इसलिए आपको उस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के लिए निर्भर रहना चाहते हैं।
आपको सूचित किया जाता है कि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा।
यह आज तारीख 28-02-2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
(मुद्रा) **निखिल सिंघई**
व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड
राजेन्द्रग्राम, जिला-अनूपपुर (म.प्र.)